न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 4/2019 निर्णय दिनांक :– 23.1.20

उनवान

1. बद्री नारायण पुत्र मूलचंद जाति महाजन, निवासी – ग्रम रूपवास तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया कि वाके ग्राम रूपवास, के खाता संख्या 63 में खसरा नम्बर 206 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.59 है0,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खसरा नम्बर 208 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 221 रकबा 0.76 है0 खसरा नम्बर 788 रकबा 0.19 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.67 है0 स्थित है जिसकी खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी की संपत्ति है जब वादी के उक्त आराजी का नामान्तकरण खुला तो वादी के पिता के नाम के रूप में मूलीलाल अंकित कर दिया गया जबकि वादी के पिता का नाम मूलचंन्द है वादी के पिता को गांव में मूलीलाल कहकर भी पुकारा जाता था। उसी वजह से. नानान्तकरण में राजस्व कर्मचारियों ने मूलीलाल अंकित कह दिया जबकि वादी के पिता के तमाम दस्तावेजात बद्री नारायण पुत्र मूलचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। वादी के समस्त कागजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार .कार्ड व अन्य राजस्व .रिकार्ड की जमाबंदी इत्यादि की वंल्दीयत मूलचन्द के नाम से बने हुये है। उक्त नामान्तकरण में सहवन से मूलचन्द कीं जगह. मूलीलाल कर दिया गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार वादी कें ता का नाम में मूलीलाल की जगह मूलचन्द अंकित किया जाना आवश्यक है। मूलीलाल व मूलचन्द नाम का एक ही व्यक्ति ग्राम रूपवास तहसील चाकसू में था केवल वादी के पिता के नाम मूलचंद की जगह मूलीलाल नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती के बिना वादी अपनी जमीन पर मिलने वाले राजकीय लाभो, ऋणो इत्यादि से वंचित है वादी ने उक्त दुरूस्ती हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय से नाम दुरुस्त करवाये जाने बाबत हिदायत दी इसलिये वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण जब तहसीलदार साहब ने नाम दुरूस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय हेतु हिदायत दी गई तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। मान्य न्यायलय को दावा सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार को प्राप्त है। दावा वादी बहक प्रतिवादी डिक्रीं किया जाकर वाद पत्र में मद नं. 1में वर्णित आंरजी में वादी के –पिता का नाम मूलीलाल को हजब कर मूलचन्द घोषित किया जावे तथा. तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे कि वादी के पिता का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल मूलीलाल को हटा कर इन्द्राज दुरूस्त कर मूलचंद अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे के वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पेदा नही करे। अन्य कोई अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार नियमानुसार पेश किया गया कि मद संख्या । ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रूपवास की राजस्व जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 63 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार हैं, मद संख्या 2 के प्रथम भाग में ग्राम रूपवास की जमाबंदी सम्वत 2073–76 की खाता संख्या 63 में दर्ज खसरा नं0 206, 207, 208, 210, 788 कुल किता 6 रकबा 1.67 है0 का मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051–70 व जमाबंदी सम्वत 2028–31, की खाता संख्या 66 से मिलान करने पर बद्रीनारायण पुत्र मुलीलाल जाति महाजन दर्ज रिकार्ड है। शेष वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 3 वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करें। मद संख्या 4 से 8 कानूनी है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार अनुसार दावा वादी डिक्री किया जावे। दावे के समर्थन में वादी ने ग्राम रूपवास की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 63, 64 की नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड विवरण चुनाव पहचान पत्र, बतौर दस्तावेज किये गये। वकील वादी की बहस पर मनन किया व जवाब सरकार दावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब सरकार अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है। दावा वादी डिक्री किया जाकर ग्राम रूपवास के खाता संख्या 63 में खसरा नम्बर 206, 207, 208, 210, 221, 788 किता 6 रकबा 1.67

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

है0 में वादी के पिता का नाम मूलीलाल को हजफ किया जाकर मूलचंद घोषित किया जाता है इसी प्रकार वादी का बद्रीनारायण पुत्र मूलचंद राजस्व रिकार्ड में शुद्ध दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.18 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: